(2)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 77/2025 दायर दिनांकः 02.06.2025

उनवान

1. बजरंगलाल पि. रामप्रसाद जाति ऐरवाल नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा
2. शम्भु पि. रामप्रसाद जाति ऐरवाल नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा

प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायताबाई पत्नि शिवलाल जाति मेघवाल नि. ओडियाखेडी तह.पिडावा
2. चैनसिंह पुत्र धुला जाति नट नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा
3. मदन पुत्र धुला जाति नट नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा
4. मिलाप पुत्र धुला जाति नट नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा
5. रमेश पुत्र धुला जाति नट नि. ओडियाखेडी तहसील पिडावा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—
प्रार्थीगण — श्री अशोक पाटीदार
अप्रार्थी सं. 1 — स्वयं
अप्रार्थी सं. 2, 3, 4, 5 — एकतरफा
अप्रार्थी सं. 6 — पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा

## निर्णय

दिनाकः 06.08.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम मोतमिनगंज तहसील पिडावा जिला झालावाड़ राजस्थान की जमाबन्दी संख्या नयी 2 खसरा नं0 98 रकबा 1.1635 है० कृषि आराजी स्थित है जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की हे नकल जमाबंदी ... है। यह कि ग्राम मोतमिनगंज तहसील पिडावा जिला झालावाड राजस्थान ... जमाबन्दी संख्या नयी 02 खाता संख्या 115 पर ... 97 रकबा 0.2529 हैक्टयर खसरा नं० 208/97 रकबा 0.5059 हैक्टयर आराजी कुल खसरे 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 0.7588 हेक्टयर आराजी अप्रार्थी राहायता बाई की खातेदारी तथा मोतमिनगंज तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राजस्थान के खाता संख्या नं. 76 खसरा नं0 210/97 रकबा 0.2529 है० आराजी अप्रार्थी नं0 2 लगायत 6 के सखातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। नकल जमाबंन्दी संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी एवं ,कब्जे काश्त की आराजी पर वर्तमान में आने-जाने बैलगाड़ी, सांमद, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र इत्यादि लाने ले जाने का कोई रास्ता मोजुद नही है।,प्रार्थीगण पुर्व मे पड़ोसी खातेदारो के खेते से होकर अपनी कृषि आराजी पर पहुंचते थे परन्तु वर्तमान में सभी पड़ोसी खातेदारो द्वारा प्रार्थीगण को निकलने से रोक दिया है इस कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी पर पहुंच कर इस का उपयोग व उपभोग नही कर पा रहे है। यह कि प्रार्थीगण के पेरा नं० 1 में दर्ज आराजी में पहुंचने का छोटा व निकटतम रास्ता रोड से चालु होकर अप्रार्थीगण के खसरा नं0 207/97, 208/97 व 210/97 की दक्षिणी मेढ पर होकर पहुंचता है। यह रास्ता प्रार्थीगण सुविधाजनक ना होकर आवंश्यक है। यह कि प्रार्थीगण की आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है। इस कारण प्रार्थीगण के खेत खसरा नं० 98 तक पहुंचने के लिए 12 फिट चौडाई में रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी तक टेक्टर सामद थ्रेशर मशीन आदि ले जा सके व कृषि कार्य कर सके। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के सम्बंध में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार डी०एल०सी० राशि जमा करने को तैयार हैं। यह कि प्रार्थीगण की आराजी एवं वादग्रस्त रास्ता ग्राम मोतमिनगंज तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राजस्थान में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। यह कि अप्रार्थीगण नं. 6 लैण्ड होल्डर होने से पार्टी बनाया गया है।. यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की प्रार्थना पत्र के पेरा नं0 1 में दर्ज कृषि आराजी खसरा नं0 98 पर पहुंचने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी [illegible] फुट चोडाई मे दिलवाकर राजस्व रिकार्ड मे रास्ता [illegible] किया जावे [illegible] के लिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार [illegible] करवाने को तैयार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

(4)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 07.07.2025 को अप्रार्थी सं. 2 से 4 के विरूद्ध एकरतफा कार्यवाही की गई। मुताबिक आदेशिका दिनांक 21.07.2025 को अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा होना एवं अप्रार्थी सं. 2 से 5 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने का अंकन किया गया है।

3. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम मोतमिनगंज तहसील पिडावा का खाता सं. 2, 115, 76 की जमाबंदी सं. 2072–75, खसरा नक्शा दिनांक 22.05.2025, पटवारी हल्का खैराना की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2025 की प्रमाणित, खसरा नक्शा पेश किया।

4. अप्रार्थी सं. 6 पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2025/647 दिनांक 01.07.2025 मौका रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– हंमराह पटवारी हल्का एवं प्रार्थी, अप्रार्थीगण के समक्ष उक्त प्रकरण सम्बन्धित मौका देखा जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम नहीं है किन्तु खसरा न. 209/97, 208/97, 210/97 में होकर ख.नं. 98 की लगवा मेड से रास्ता कायम किया जा सकता है। ख.नं. 207/97 रकबा 0.7588 है. खातेदार सहायताबाई पत्नि शिवलाल मेघवाल, 208/97 खातेदार सहायताबाई पत्नि शिवलाल मेघवाल, ख.नं. 210/97 रकबा 0.6196 हेक्टेयर खातेदार चैनसिंह, मदन, रमेश, मिलाप पिस. धूला दर्ज है। उक्त ख.नं. की बीच मेड से ख.नं. 98 पर रास्ता प्रदान किया जाना उचित होगा जिसका नजरी नक्शा मय लम्बाई व चौडाई नीचे अंकित है–

| ख.नं. | लम्बाई | चौडाई | रास्ते का रकबा |
|---|---|---|---|
| 207/97 | 314 फीट | 12 फीट | 0.0347 है. |
| 208/97 | 105 फीट | 12 फीट | 0.0189 |
| 210/97 | 140 फीट | 12 फीट | 0.0157 है. |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

(5)

5. प्रार्थीगण एवं अप्राथी सं. 1 द्वारा दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होकर राजीनामा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सहायताबाई के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। अप्रार्थी सहायताबाई ने अपने खातेदारी के खसरा से 207/97 व 208/97 की उत्तर दिशा की मेड की तरफ रास्ता दे दिया है। सहायताबाई के उत्तर दिशा की तरफ रास्ता देने के बाद अब प्रार्थीगण को अप्राथीगण 2 लगायत 5 की खाते की कृषि आराजी खसरा 210/97 में रास्ते की आवश्यकता नही है। सहायताबाई ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करली है। अतः प्रकरण का निस्तारण राजीनामे के आधार करने की कृपा करे।

6. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग –प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की ग्राम मोतमिनगंज तहसील पिडावा की भूमि ख.नं. 97 व 98 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम मोतमिनगंज तहसील पिडावा के लटठा नक्शा व आन लाईन नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि मुख्य सडक ख.नं. 101 से उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है, केवल सरकारी ख.नं. 209/97 में अस्थाई रास्ता मौके पर बना हुआ है जिस पर होकर निकलने से पेरोकार सरकार ने कभी कोई आपत्ति नहीं की है लेकिन इस सरकारी खसरे पर पहूँचने के लिए बीच में अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 207/97 व 208/97 आती है जहां कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। उक्त बहस पर स्वयं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा सहमति देते हुए स्वीकार किया कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट के अनुसार भी पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

**(iii)** <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पड़त रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोड़ी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। **अप्रार्थी सं. 1 व 6 ने भी स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण को पहूँच हेतु रास्ते की आवश्यकता है।** अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

**(iv)** **डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः**–प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 97 व 98 तक पहुंच हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 207/97 व 208/97 की उत्तरी मेड के सहारे 10 फीट चौडे रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है और **दोनो पक्षो द्वारा पेश राजीनामा दिनांक 21.07.2025 में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किये जाने का समझौता पेश किया है। राजीनामा में प्रार्थी सं. 1 ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करना स्वीकार किया है लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है– का अंकन नहीं है।**

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, तहसीलदार [illegible] की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 01.07.2025 [illegible] राजीनामा दि[illegible] 21.07.2025 के अनुसार ग्राम मातमिनगंज तहसील पि[illegible] की भूमि ख.नं. 97 व 98 तक पहूँच हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 207/97 व 208/97 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

होकर नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

## —::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण तथा राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। **अप्रार्थी सं. 1 द्वारा रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि राजीनामा अनुसार प्राप्त किये जाने से,** ग्राम मांतमिनगंज तहसील पिडावा की मुख्य सडक ख.नं. 101 से अप्रार्थी सं. 1 के ख.नं. 207/97 व 208/97 की उत्तरी मेड के सहारे 10 फीट चौडा नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/8/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner